कार्यालय नगर पालिक निगम बीरगांव,जिला–रायपुर (छ.ग.)

क्रं. / 109 / न.पा.नि. / राष्ट्रीय पर्व / 2016 / बीरगांव,दिनांक 07 / 01 / 2017

वार्षिक निविदा 2016–17 मैन्यूअल पद्धति निविदा आमंत्रण (IIIrd Call)

निम्नानुसार कार्य हेतु पात्र फर्मों से पंजीकृत डॉक / स्पीड पोस्ट से दो लिफाफा पद्धति में सीलबंद निविदाएं आमंत्रित है। निविदा प्रपत्र हेतु आवेदन की अंतिम तिथि 19.01.17 अपरान्ह 3.00 बजे तक। निविदा प्रपत्र जारी करने की अंतिम तिथि 19.01.17 सायं 5.00 बजे तक। निविदा प्राप्त होने की अंतिम तिथि 23.01.17 अपरान्ह 3.00 बजे तक। प्राप्त निविदाओं को खोलने की तिथि 23.01.17 सायं 4.00 बजे।

क्रं.	कार्य का नाम	अनु.लागत लाख रू.
1	विशेष अवसरों पर मिष्ठान्न, नाश्ता व खाना पैकेट आपूर्ति	3.00

निविदा की सामान्य शर्तें, धरोहर राशि, विस्तृत निविदा विज्ञप्ति, निविदा दस्तावेज व अन्य जानकारी कार्यालयीन अवधि में कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। साथ ही यह जानकारी नगर पालिक निगम बीरगांव की वेबसाईट www.nagarnigambirgaon.com अथवा संचालनालय की बेबसाईट www.uad.cg.gov.in से भी डाउनलोड की जा सकती है।

(आयुक्त महोदय द्वारा अनुमोदित)

for आयुक्त

पृ. क्रं. / 110 / न.पा.नि. / राष्ट्रीय पर्व / 2016 / बीरगांव,दिनांक 07 / 01 / 2017

प्रतिलिपि :–

01. निज सहायक, मान. महापौर, नगर पालिक निगम, बीरगांव की ओर सादर सूचनार्थ।
02. महाप्रबंधक, छ.ग. संवाद रायपुर की ओर एक बहुप्रसारित **जिला स्तरीय** दैनिक समाचार पत्र के आगामी साधारण अंक में *एक दिवस न्यूनतम स्पेश* में प्रकाशन हेतु प्रेषित। कृपया प्रकाशन उपरांत देयक भुगतान हेतु प्रेषित करने का कष्ट करेंगे।
03. कार्यालय नगर पालिक निगम बीरगांव,जिला–रायपुर (छ.ग.) के नोटिस बोर्ड में चस्पा व नगर पालिक निगम बीरगांव की वेबसाईट www.nagarnigambirgaon.com में अपलोड करने हेतु।
04. डॉटा सेन्टर, संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, नया रायपुर, छ.ग. की ओर संचालनालय की बेबसाईट www.uad.cg.gov.in में अपलोड करने हेतु।

for आयुक्त

नगर पालिक निगम बीरगांव

कार्यालय नगर पालिक निगम बीरगांव, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़)

विशेष अवसरों पर मिष्ठान्न, नाश्ता व खाना पैकेट आपूर्ति

मेन्यूअल पद्धति वार्षिक निविदा 2016–17 (IIIrd Call)

//नियम व शर्तें//

01. निविदा के प्रत्येक समूह के लिए अलग–अलग आवेदन करना अनिवार्य है।
02. सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।
03. निविदा की सामान्य शर्तें, धरोहर राशि, विस्तृत निविदा विज्ञप्ति, निविदा दस्तावेज व अन्य जानकारी कार्यालयीन अवधि में कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।
04. निविदा प्रपत्र प्राप्त करने हेतु पात्रता :–
    (1) दुकान स्थापना लायसेंस। (2) आयकर विभाग में पंजीयन प्रमाण पत्र/पैन कार्ड।
    इन सभी दस्तावेजों की नोटरी द्वारा सत्यापित प्रतियां जमा करना अनिवार्य होगी। पात्रता परीक्षण उपरांत पात्र होने की दशा में ही निविदा प्रपत्र प्रदाय की जावेगी।

05. यदि निविदाकार एक से अधिक समूह में निविदाएं प्रस्तुत करना चाहता है तो प्रत्येक निविदा समूह के लिए कण्डिका क्रं. (04) के अनुसार नोटरी द्वारा सत्यापित दस्तावेजों का पृथक–पृथक सेट जमा करना अनिवार्य होगा।
06. अमानत राशि :– अमानत राशि आयुक्त, नगर पालिक निगम, बीरगांव के नाम से भारतीय स्टेट बैंक अथवा अनुसूचित बैंकों के **डिमाण्ड ड्रॉफ्ट** के रूप में स्वीकार की जावेगी।

क्रं.	कार्य का नाम	अनु.लागत लाख रू.	अमानत राशि रू.		निविदा प्रपत्र मूल्य रू.
			राशि	FDR/DD	
1	विशेष अवसरों पर मिष्ठान्न, नाश्ता व खाना पैकेट आपूर्ति	3.00	3000.00	DD	750.00

07. लाख चापड़ा से सीलबंद (मुहरबंद) निविदाएं ही स्वीकार की जावेगी।
08. लिफाफा 'अ' में अमानत राशि एवं लिफाफा 'ब' में निविदा प्रपत्र देना होगा। इन दोनों लिफाफों को एक साथ बड़े लिफाफे में **सील बंद (मुहरबंद)** कर आयुक्त, नगर पालिक निगम,बीरगांव के नाम पर निर्धारित तिथि एवं समय में स्पीडपोस्ट/रजिस्ट्री के माध्यम से नगर निगम में जमा करना होगा। यदि निविदाकर्ता पंजीयन प्रमाण पत्र या अन्य कोई कागजात प्रस्तुत करना चाहे तो उसे 'ब' लिफाफे में रखकर प्रस्तुत कर सकेंगे।
09. पहले लिफाफा 'अ' में अर्थात् अमानत राशि का लिफाफा खोला जावेगा। पर्याप्त अमानत राशि का एफ.डी.आर. अथवा डी.डी. संलग्न होने पर ही लिफाफा 'ब' खोला जावेगा। अन्यथा निरस्त कर दिया जावेगा।
10. दरें समस्त कर सहित तथा निकाय स्टोर तक पहुंचाकर कुल लागत सहित प्रस्तुत करनी होगी। प्रस्तुत दर के अतिरिक्त अन्य कोई राशि भुगतान नहीं की जावेगी।
11. आवश्यकतानुसार सामग्रियों की आपूर्ति कार्यादेश तिथि को ही अथवा कार्य की प्रकृति अनुसार अधिकतम 03 दिवस में आपूर्ति करनी होगी।
12. जो निविदाकार नगर पालिक निगम बीरगांव कार्यालय से निविदा प्रपत्र क्रय करना चाहते हैं वे निविदा प्रपत्र हेतु आवेदन की अंतिम तिथि को कण्डिका क्रं. (04) एवं (05) अनुसार दस्तावेज मय आवेदन निकाय में जमा कर सकते हैं। पात्र होने की दशा में निविदाकार द्वारा निर्धारित शुल्क जमा करने पर निविदा प्रपत्र जारी करने की अंतिम तिथि को निकाय स्तर से निविदा प्रपत्र जारी की जावेगी।

13. छत्तीसगढ़ शासन द्वारा नगरीय निकायों के लिए निर्धारित निविदा प्रपत्र "सी" नगर पालिक निगम बीरगांव व विभाग की वेबसाईट में उपलब्ध है। जो निविदाकार नगर पालिक निगम बीरगांव की वेबसाईट www.nagarnigambirgaon.com अथवा संचालनालय की बेबसाईट www.uad.cg.gov.in से निविदा प्रपत्र डाउनलोड करना चाहते हैं, उन्हें कण्डिका क्रं. (04) एवं (05) अनुसार नोटरी द्वारा सत्यापित दस्तावेजों का पृथक–पृथक सेट प्रत्येक निविदा समूह के लिए पात्रता दस्तावेज व आयुक्त, नगर पालिक निगम,बीरगांव के नाम से निविदा प्रपत्र के मूल्य के बराबर की डी.डी. को लिफाफा 'अ' एवं लिफाफा 'ब' के बाहर अर्थात् सबसे बाहरी लिफाफा के अंदर रखना होगा। निविदा प्रपत्र के मूल्य के बराबर की डी.डी./एफ.डी.आर. व पात्रता हेतु प्रस्तुत दस्तावेजों का परीक्षण करने के उपरांत, पात्र होने की दशा में ही कण्डिका क्रं. (09) अनुसार कार्यवाही की जावेगी।
14. जो भी निविदा निर्धारित अंतिम तिथि व समय के पश्चात् प्राप्त होगी, वह नहीं खोली जावेगी तथा वापस लौटा दी जावेगी।
15. अपरिहार्य कारणों से यदि निविदा प्रपत्र प्रदाय अथवा निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि को अवकाश घोषित होता है तो ऐसी स्थिति में निविदा प्रदाय/निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि आगामी कार्य दिवस को माना जावेगा।
16. सामग्री/कार्य की आवश्यकतानुसार ही कार्यादेश जारी किए जावेंगे।
17. कार्य की लागत/मात्रा में कमी अथवा वृद्धि की जा सकती है। जिसमें कोई आपत्ति स्वीकार नहीं होगी।
18. उपयोग किया गया/आपूर्ति किया गया सामग्री खाद्य विभाग के मानकों के अनुसार होना अनिवार्य है।
19. निर्धारित समयावधि में कार्य पूर्ण नहीं करने पर निविदाकार के देयक से निविदा/संविदा की शर्तों के अनुसार कटौती की जावेगी/निविदा निरस्त कर अमानत राशि राजसात कर ली जावेगी। पुनः निविदा कर अन्तर की राशि निविदाकार से वसूली की जावेगी।
20. अनुबंध अनुसार नियम एवं शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा।
21. किसी भी निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत/निरस्त करने का अधिकार आयुक्त,नगर पालिक निगम बीरगांव के पास सुरक्षित रहेगा।
22. किसी भी विवाद की स्थिति में आयुक्त,नगर पालिक निगम बीरगांव का निर्णय सर्व मान्य होगा।

(आयुक्त महोदय द्वारा अनुमोदित)

आयुक्त
नगर पालिक निगम,बीरगांव
जिला–रायपुर (छ.ग.)